न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-176/2018

CNR N0-UPKU01-002389-2018

सरकार-बनाम-सुरेन्द्र शर्मा

आरोप

मैं सैय्यद वाइज मियां, सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना,

आपः-सुरेन्द्र शर्मा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 27.08.2015 को समय 16.30 दिन, वहद ग्राम-उर्दहा नं० 2, थाना-रामकोला, जिला-कुशीनगर में आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक राय होकर नाजायज मजमा कायम कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 147 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मीरा देवी को उपहति कारित करने के उद्देश्य से भुजाली आदि जैसे घातक आयुद्ध के साथ लैश होकर विधि विरूद्ध जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 148 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी मीरा देवी को भुजाली से मारकर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 323/149 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी मीरा देवी को भुजाली, जो एक धारदार हथियार है, से मारकर गम्भीर उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 324/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में स्वैच्छया वादिनी मीरा देवी को जान से मारने की नियत से भुजाली से ऐसे ज्ञान और ऐसी परिस्थिति में मारा कि यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी मीरा देवी, पुत्री गुंजन व सास कौशिल्या देवी को भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर प्रकोपित एवं अपमानित किया, जिससे शान्तिभंग की आशंका उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी मीरा देवी, पुत्री गुंजन व सास कौशिल्या देवी को

जान से मारने की घुड़की-धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 506 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 01.08.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांकः 01.08.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-176/2018

CNR N0-UPKU01-002389-2018

सरकार-बनाम-सुरेन्द्र शर्मा

01.08.2018

पत्रावली पेश की गयी। अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ जमानत पर उपस्थित है। राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी उपस्थित हैं।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा के विरूद्ध धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 307/149, 504 व 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उक्त वर्णित दफाओं में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(सैय्यद वाइज मियां)

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर स्थान पडरौना।